जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 21.02.2023**

आज दिनांक 21.02.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दबिश के दौरान 05 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना धनघटा पुलिस** द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1-बाढ़ू हरिजन 2-जवाहिर हरिजन पुत्रगण दलसिंगार निवासी सेमरी 3- दुर्गा प्रसाद पाठक 4- पंकज पाठक पुत्रगण वेदप्रकाश पाठक निवासी धनघटा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को उ0नि0 श्री वीरबहादुर यादव, उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, का0 आन्नद पटेल, 0 आशुतोष सिंह, का0 संदेश कुमार द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता पुरुषोत्तम चौरसिया पुत्र स्व0 बहादुर निवासी औरही थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3311 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 महिला को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 3311 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बहराव गांव से इवेन्ट संख्या 07616 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 महिला श्रीमती फेकना देवी पत्नी रामसमुझ निवासी रघुवाडिह थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर के घायल होने के संबंध में

सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल महिला को सीएचसी मलौली पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल महिला को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 सोनू यादव, हो0चा0 हर्षनाथ यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 79500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.02.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनों से 79500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।